


झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संचिका सं०-05/न0वि0/विविध (Master Plan)-06/2022.....³⁷⁸² राँची, दिनांक-03/11/22

राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के विकास क्षेत्र के जिस भाग के लिए मास्टर प्लान तैयार कर स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है उन क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग अन्तर्गत कार्यरत राँची जिला परिषद को नक्शा स्वीकृति के कार्य के लिए (संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान अधिसूचित होने की तिथि के पूर्व तक) प्राधिकृत किया जाता है।


झारखंड राज्यपाल के आदेश से


(विनय कुमार चौबे)

सरकार के सचिव


ज्ञापांक-05/न0वि0/विविध (Master Plan)-06/2022.....³⁷⁸² राँची, दिनांक-03/11/22

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव


ज्ञापांक-05/न0वि0/विविध (Master Plan)-06/2022.....³⁷⁸² राँची, दिनांक-03/11/22

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-05/न0वि0/विविध (Master Plan)-06/2022.....³⁷⁸² राँची, दिनांक-03/11/22

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, राँची जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव